बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक — सं0सं0–ह0क0सह0–(स्वा0 बी0यो0)–01/2014 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय :– **स्वीकृत्यादेश संख्या 1072 दिनांक 02.03.2016 में प्रथम संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 1072 दिनांक 02.03.16 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यान्तर्गत हस्तकरघा बुनकर परिवार के कल्याणार्थ केन्द्र प्रायोजित हैण्डलूम विवर्स कम्प्रीहेन्सि वेलफेयर स्कीम (हस्तकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना) के घटक स्वास्थ्य बीमा योजना का पूर्व में वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में क्रमशः मो0 23,07,364/– (तेइस लाख सात हजार तीन सौ चौसठ) रूपये एवं मो0 22,62,995/– (बाईस लाख बासठ हजार नौ सौ पन्चानवे) रूपये अर्थात कुल मो0 45,70,359/– (पैंतालिस लाख सतर हजार तीन सौ उनसठ) रूपये मात्र सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत्यादेश की कंडिका 6 में संशोधन करते हुए कहना है कि वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से मो0 45,70,359/– (पैंतालिस लाख सतर हजार तीन सौ उनसठ) रूपये की एक मुश्त निकासी BTC- 46 पर करते हुए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना के पी0एल0 खाता संख्या– PLA 277 में जमा करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. स्वीकृति की अन्य शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

4. निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(स्वा0 बी0यो0)–01/2014 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0(स्वा0 बी0यो0)–01/2014 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0(स्वा0 बी0यो0)–01/2014 1174 पटना, दिनांक– 04-03-16

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग को पाँच प्रति मे/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन पटना तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Rajyadesh (A.V.K.)-8

1354